माननीय श्री जी. एस. सिंघवी और एन. के. सूद, न्यायमूर्ति के समक्ष

मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,-अपीलार्थी

बनाम

मंजीत कौर और अन्य,-उत्तरदाता

2000 का एफ. ए. ओ. सं. 310

8मई, 2000

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 157-बीमा *पॉलिसी के साथ वाहन बेचने वाले मालिक-धारा 157 (2)* के *लिए आवश्यक है कि खरीदार 14 दिनों के भीतर अपने नाम पर पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए आवेदन करे-खरीदार अपने* नाम *पर पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा-क्या बीमाकर्ता तीसरी* पी *1 संपत्ति के दावे के खिलाफ अपने दायित्व से केवल इस आधार पर* इंकार *कर सकता है कि धारा 157 (2) के तहत परिकल्पित सूचना उसे नहीं दी गई थी-* नहीं।

माना जाता है कि धारा 157 की उप-धारा (1) के एक सादे पठन से पता चलता है कि जब कोई वाहन बीमा पॉलिसी के साथ बेचा जाता है, तो उसे खरीदार को हस्तांतरित किया गया माना जाता है।यह प्रावधान किसी अन्य सीमा के अधीन नहीं है।यह सच है कि उप-धारा (2) में प्रावधान है कि खरीदार 14 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को अपने नाम पर पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा, लेकिन यह किसी भी तरह से यह प्रावधान नहीं करता है कि ऐसा आवेदन करने में विफलता अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (1) के तहत परिकल्पित मानित हस्तांतरण या बीमा पॉलिसी को रद्द कर देगी।

(पैरा 4)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को इस आधार पर किसी तीसरे पक्ष के दावे के खिलाफ अपने दायित्व से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि अधिनियम की धारा 157 की उप धारा (2) के तहत परिकल्पित सूचना खरीदार द्वारा उसे नहीं भेजी गई थी।

(पैरा 7)

आर. के. बासाम्बू, अपीलार्थी के अधिवक्ता

जी. एस. बावा, प्रत्यर्थी के वकील

निर्णय

माननीय श्री एन. के. सूद, न्यायमूर्ति

(1) यह अपील अपीलार्थी-बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सिरसा द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 1999 को दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई है। मृतक सतनाम सिंह के उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में, जिनकी 18 सितंबर, 1997 को एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।दुर्घटना में पंजीकरण संख्या के. बी. ई.-6009 वाली एक

मारुति कार शामिल थी। कार को उसके मालिक योगेश कुमार चला रहे थे, जिसने साइकिल पर सवार मृतक सतनाम सिंह को टक्कर मार दी।मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायाधिकरण ने पाया कि कार को बहुत तेज गति से लापरवाही से चलाया जा रहा था और एक ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में, इसने मृतक की साइकिल को सड़क के बाईं ओर टक्कर मार दी थी।इससे सतनाम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।न्यायाधिकरण ने एक करोड़ रुपये की राशि का आदेश दिया। 1,64,000 मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में।

(2) बीमा कंपनी द्वारा हमारे सामने एकमात्र कारण यह है कि मालिक योगेश कुमार शर्मा ने बीमा पॉलिसी के साथ मैसर्स खेम चंद हेम राज से कार खरीदी थी।तथापि, धारा 157 की उप-धारा (2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") के प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार, उन्होंने 14 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अपने नाम पर बीमा प्रमाण पत्र के हस्तांतरण के लिए आवेदन नहीं किया था।इसलिए यह तर्क दिया गया कि उसके और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं, और इस तरह, बीमा कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे के खिलाफ उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) इस मामले को हल करने के लिए अधिनियम की धारा 157 के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं:

> "157. बीमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण।—(1) जहाँ कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में इस अध्याय के प्रावधान के अनुसार बीमा का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस मोटर वाहन का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है जिसके संबंध में ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पॉलिसी के साथ लिया गया था, बीमा का प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित की गई मानी जाएगी जिसे मोटर वाहन हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी है।
>
> स्पष्टीकरण—संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस तरह के मानित हस्तांतरण में उक्त बीमा प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी के अधिकारों और देनदारियों का हस्तांतरण शामिल होगा।
>
> (2) बीमाकर्ता को बीमाकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में हस्तांतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर बीमाकर्ता के प्रमाण पत्र में हस्तांतरण के तथ्य और उसके पक्ष में प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन करेगा और बीमाकर्ता बीमा हस्तांतरण के संबंध में प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा।"

(4) धारा 157 की उप-धारा (1) के एक सादे पठन से पता चलता है कि जब कोई वाहन बीमा पॉलिसी के साथ बेचा जाता है, तो उसे खरीदार को हस्तांतरित किया गया माना जाता है।यह प्रावधान किसी अन्य सीमा के अधीन नहीं है।यह सच है कि उप-धारा (2) में प्रावधान है कि खरीदार 14 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को अपने नाम पर पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए आवेदन करेगा, लेकिन यह किसी भी तरह से यह प्रावधान नहीं करता है कि ऐसा आवेदन करने में विफलता अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (1) के तहत परिकल्पित मानित हस्तांतरण या बीमा पॉलिसी को रद्द कर देगी।

(5) अपीलार्थी ने राम चंदर बनाम नरेश कुमार (1) मामले में इस न्यायालय *के निर्णय* पर *भरोसा करते* हुए तर्क दिया है कि यदि अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी जाती है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि मूल मालिक को क्षतिपूर्ति देने का दायित्व खरीदार को हस्तांतरित कर दिया गया था।दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के वकील ने जी गोविंदन बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय *के* फैसले *की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।* (2) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा कंपनी इस आधार पर तीसरे पक्ष को अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकती कि अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (2) के तहत उसे अपेक्षित सूचना नहीं दी गई थी।सर्वोच्च न्यायालय ने मैसर्स कम्प्लीट इंसुलेशन (पी) लिमिटेड बनाम मैसर्स कम्प्लीट इंसुलेशन (पी) *लिमिटेड के मामले में अपने* पहले *के फैसले पर भरोसा किया* है।न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (3) जिसमें अधिनियम की धारा 157 के प्रावधानों की विस्तार से जांच की गई थी।

1. 1999 (2) एस. एल. जे. 1363
2. जे.टी 1999 (2) एस. सी. 622
3. 1996 (1) एस. सी. सी. 221

(6) यह सच है कि राम चंदर (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत का निर्णय मामले का समर्थन करता है।बीमा कंपनी से।हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स कम्प्लीट इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (उपरोक्त) को पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था।उक्त निर्णय की व्याख्या करते हुए, जी. गोविंदन (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः—

"9. पूर्ण इन्सुलेशन (पी) लिमिटेड बनामन्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।

लिमिटेड, (1996) 1 एस. सी. सी. 221) इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1939 के अधिनियम की धारा 103-ए और धारा 94 और 95 के दायरे पर विचार किया और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 157 और 147 और 156 के साथ इसकी तुलना की गई थी कि वाहन के हस्तांतरणकर्ता ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि वह हस्तांतरण के बाद हुई दुर्घटना में वाहन को हुए नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने का हकदार था, इस तथ्य के बावजूद कि बीमा पॉलिसी उसके नाम पर हस्तांतरित नहीं की गई थी।उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने बीमाकर्ता को 83, 000 अर्थात वाहन का बीमित मूल्य रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। ।बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से अपील की जिसने चंडीगढ़ में आयोग के आदेश को दरकिनार कर दिया और हस्तांतरणकर्ता के दावे को खारिज कर दिया।राष्ट्रीय आयोग ने पूर्ण पीठ के फैसले को संदर्भित करने के बाद विशेष रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोदंडरामय्या के अलग सहमति वाले फैसले को अपने फैसले के समर्थन में उस फैसले में अनुपात लागू किया।अंतरिती ने विशेष अनुमति द्वारा इस

न्यायालय में अपील की; इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति कोदंडरामय्या के अलग फैसले का उल्लेख करने के बाद उसमें निर्धारित सिद्धांत को मंजूरी दी, उसी को लागू किया और राष्ट्रीय आयोग के फैसले को बरकरार रखा।

10. इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में कहा कि नए अधिनियम और पुराने अधिनियम के तहत प्रावधान कोंडैया के मामले में अलग-अलग फैसले में तीसरे पक्ष के संबंध में दायित्व के संबंध में काफी हद तक समान हैं कि हस्तांतरणकर्ता-बीमाकृत को विचाराधीन वाहन के लिए तीसरे पक्ष के रूप में नहीं कहा जा सकता है।दूसरे शब्दों में, पीड़ित या पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधियों को बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता है कि पॉलिसी हस्तांतरणकर्ता के नाम पर हस्तांतरित नहीं की गई थी।

11. इस न्यायालय ने आगे कहाः—

"अब, पुराने अधिनियम के तहत हालांकि बीमाकर्ता कुछ परिस्थितियों में बीमा प्रमाण पत्र को हस्तांतरित करने से इनकार कर सकता था और हस्तांतरण स्वचालित नहीं था क्योंकि नए अधिनियम के तहत, पुराने कानून संरक्षण के तहत तीसरे पक्ष को था, जो दुर्घटना का शिकार होते हैं।यह संरक्षण पुराने अधिनियम की धारा 94 और 95 के आधार पर उपलब्ध था।

(जोर दिया गया)

12. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी यही दृष्टिकोण लिया गया था।शीला रानी (श्रीमती) और अन्य। (जेटी 1998 (6) एससी 388)।

13. पुराने अधिनियम के अध्याय VIII का शीर्षक "तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा" है।अध्याय VIII के तहत प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विधानमंडल ने तीसरे पक्ष (पीड़ितों) के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा अनिवार्य कर दिया है।इस न्यायालय ने न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामपेसुमल धनमल असवानी और अन्य। (ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1736 ने तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमा की अनिवार्य प्रकृति को नोटिस करने के बाद कहा कि एक बार कंपनी ने पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा किए गए तीसरे पक्ष को देयता दी थी।अधिनियम के प्रावधानों के तहत या उनके आधार पर किसी भी राशि की वसूली करने का तीसरे पक्ष का अधिकार पॉलिसी की किसी भी शर्त से प्रभावित नहीं होता है।

14. हमारी राय में कि पुराने अधिनियम और नए अधिनियम दोनों के तहत विधानमंडल तीसरे पक्ष (पीड़ित) के हितों की रक्षा करने के लिए उत्सुक था।ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने अधिनियम के प्रावधानों में जो निहित था, वह अब स्पष्ट कर दिया गया है, संभवतः विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच इस पहलू पर परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए।"

(7) सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि राम चंदर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अब अच्छा नहीं है।वर्तमान मामला तीसरे पक्ष का दावा होने के कारण मैसर्स * कम्प्लीट इंसुलेशन (पी) लिमिटेड (सुप्रा) और जी. गोविंदन (सुप्रा) में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।इसलिए हमारा मानना है कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी को इस आधार पर किसी तीसरे पक्ष के दावे के खिलाफ अपने दायित्व से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित सूचना उसे योगेश कुमार शर्मा द्वारा नहीं भेजी गई थी।

(8) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं जिसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा